

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आ दे श

वरिष्ठ अधीक्षक, पोस्ट व टेलीग्राफ विभाग, कोटा

बनाम्

महेन्द्र कुमार शर्मा वगैरा

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या—1526 / 2020

आदेश दिनांक

31.01.2020

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

श्री पराग रस्तौगी, अधिवक्ता वास्ते याची

योग्य अधिवक्ता याची को सुना गया।

अयाचीगण को दिनांक 28.02.2020 की वापसी के नोटिस जारी किए जावे। योग्य अधिवक्ता याची इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में करें।

आगामी आदेश तक किराया अधिकरण, कोटा द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय/पुनः प्राप्ति-वसूली प्रमाण पत्र दिनांक 24.11.2015 व अपील किराया अधिकरण, कोटा द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय/पुनः प्राप्ति-वसूली प्रमाण पत्र दिनांक 13.09.2019 की क्रियान्विति स्थगित की जाती है।

यह स्टे आदेश अयाचीगण पर नोटिस तामील के बाद प्रभावी होगा।

(न्या.प्रकाश गुप्ता)

एमसीएस  
M-21

सत्यमेव जयते